

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरु)
पीठासीन अधिकारी श्री सन्दीप चौधरी (आर.ए.एस.)

मु.न.-.....52...../2024

कासीराम पुत्र वेगाराम जाति जाट निवासी श्योराणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वनाम

- प्रार्थी -

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) तारानगर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 138 लैण्ड रेवन्यू एक्ट व धारा 88 आर.टी.एक्ट.

- अप्रार्थी -

दिनांक 14/2/24

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना मय शपथ पत्र में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी की पत्नी के नाम कृषि भूमि रोही मौजा साहवा तहसील तारानगर के खसरा सं. 238 तादादी 2.4026 हेक्ट. है। जिसमें प्रार्थी की पत्नी का नाम रूकनादेवी पत्नी काशीराम अंकित है। जो गलत है, जबकि प्रार्थी की पत्नी का नाम रूकमा पत्नी कासीराम सही हैं। प्रार्थी की पत्नी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधारकार्ड तथा अन्य दस्तावेजों में रूकमा पत्नी कासीराम है। नाम में भिन्नता होने के कारण प्रार्थी को कृषि ऋण, फसल बेचान आदि में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब प्रार्थी जमावन्दी में अपनी पत्नी का नाम दुरुस्त करवाना चाहता है। जमावन्दी में अपनी पत्नी का नाम दुरुस्त करवाने के लिए प्रार्थी ने तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया था। परन्तु तहसीलदार ने बिना किसी न्यायालय के आदेश के नाम दुरुस्त करने से इंकार कर दिया। इसलिए श्रीमानजी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कृषि भूमि रोही मौजा साहवा तहसील तारानगर के खसरा सं. 238 तादादी 2.4026 हेक्ट. में प्रार्थी की पत्नी का नाम रूकमा पत्नी कासीराम किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी द्वारा तहसीलदार तारानगर के समक्ष दिये प्रार्थना पत्र में आई पूर्व में प्राप्त रिपोर्ट पटवार हल्का साहवा के अनुसार प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपनी पत्नी का नाम दुरुस्त करवाना चाहता है। अब प्रार्थी अपनी पत्नी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधारकार्ड, शपथ पत्र व अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी की पत्नी का नाम रूकनादेवी पत्नी काशीराम की जगह रूकमा पत्नी कासीराम करवाना चाहता है। आज दिनांक तक राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की पत्नी का नाम रूकनादेवी पत्नी काशीराम दर्ज है। अतः प्रार्थी की पत्नी का नाम रूकनादेवी पत्नी काशीराम की जगह रूकमा पत्नी कासीराम दुरुस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना उचित होगा।

पत्रावली का अवलोकन किया गया पटवार हल्का साहवा की रिपोर्ट प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की पृष्टि होती है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा साहवा तहसील तारानगर के खसरा सं. 238 तादादी 2.4026 हेक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रविष्टि प्रार्थी की पत्नी का नाम रूकनादेवी पत्नी काशीराम Delete कर इसके स्थान पर रूकमा पत्नी कासीराम अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में जमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। इस विचार न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय निर्णय है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14/2/24 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सन्दीप चौधरी आर.ए.एस.)

पीठासीन अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरु)